# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 95 / 2023 | 27.02.2023 | 26.02.2024 |

उनवान

1. श्रीमती सोसर बाई पुत्री श्री भेरू गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बाबु लाल पुत्र दल्ला गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जोधराज पिता श्री गोरू गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. बरदा पिता श्री रूपा गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. तुलछा पिता श्री नन्दा गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. प्यारचंद पिता श्री हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. गुलाब पिता श्री हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. लालू पिता श्री हजारी गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. मुला पुत्र नानु गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. भेरूलाल पिता श्री केशु गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. ऐजी पुत्री केशु गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री छोटूलाल पिता श्री छोगालाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर थाना पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्री राजैन्द्र कुमार पिता श्री रंगलाल जाति पाराशर आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा
3. श्री नारायण पिता श्री मांगीलाल जाति व्यास निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा
4. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा(राज.)
5. नगर परिषद भीलवाड़ा(राज.)
6. तहसीलदार भीलवाड़ा (राज.)

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्यामलाल गुर्जर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

**—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—**

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 1343 की अभिलिखित आराजियात 8875/1, 8875/2, 8875/3, 8875/4, 8875/5, 8875/6, 8875/7 कुल किता 07 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 05 का जवाब पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 1343 की अभिलिखित आराजियात 8875/1, 8875/2, 8875/3, 8875/4, 8875/5, 8875/6, 8875/7 कुल किता 07 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

8875/1, 8875/2, 8875/3, 8875/4, 8875/5, 8875/6, 8875/7 कुल किता 07 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा